FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत ---**उपखण्डाधिकारी**--- मुकाम ---- **धौलपुर** ----

------धीरसिंह------ बनाम ---मुन्नी-----------

किस्म मुकदमां --९ नि.९ दा.२ — नम्बर -----39---- सन् --24----

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म तामील में जारी हुये
21.05.2024	प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सीपीसी पेश हुआ। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी का कथन है कि वह अन्य न्यायालय में व्यस्त थे, श्रीमान्जी के न्यायालय में आवाज लगने पर उपस्थित नहीं हो पाये एवं प्रार्थी के अधिवक्ता ने समझा कि पक्षकार पेशी पर बैठा है लेकिन पक्षकार किसी रिश्तेदार की शादी में चला गया और पेशी पर नही आया जिसके कारण दावा प्रार्थीया अदम हाजिरी व पैरवी में खारिज हो गया, प्रार्थी अपना दावा कन्टेस्ट करना चाहती है। दावा पुनः नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली का अवलोकन किया मूलवाद पत्रावली दफ्तर से तलब की गई। मूलवाद प्रतिवादीगण की तलबी एवं जबाव प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी में विचाराधीन है तथा प्रतिवादी संख्या 2,3,7 के विरूद्व पूर्व में ही एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है।प्रार्थना पत्र मूलवाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने बाबत् पेश किया गया है, वकील वादी के कथनों का मनन करने व न्यायहित में वादी का दावा पुनः नम्बर पर लिया जाना हम उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर वादी का मूलवाद पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे। उपखण्डाधिकारी धौलपुर (राज0)	